न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2018/00077 जिला–नागौर

1. बींजाराम पुत्र हेमाराम
2. नारायणराम पुत्र हेमाराम
3. कानाराम पुत्र हेमाराम
   समस्त जाति भांबी, निवासीगण जिन्दास तहसील व जिला नागौर।
4. चुन्नी पत्नी भैरूराम मृतक जरिये विधिक वारिसानः–
   4/1 मदनराम पुत्र भैरूराम
   4/2 शिकुनराम पुत्र भैरूराम
   4/3 शैतानाराम पुत्र भैरूराम
   4/4 रामूराम पुत्र भैरूराम
   4/5 नारायण राम पुत्र भैरूराम
   4/6 कैलाश पुत्र भैरूराम
   4/7 भंवराई पुत्री भैरूराम
   4/8 कंवराई पुत्री भैरूराम
   4/9 पतासी पुत्री भैरूराम
   4/10 मनफूल पुत्री भैरूराम
   समस्त जाति जाट, निवासीगण जिन्दास, तहसील व जिला नागौर

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. उमाराम पुत्र नत्थूराम
2. मदनराम पुत्र नत्थूराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण जिन्दास तहसील व जिला नागौर।
3. श्रवणराम पुत्र बंशीराम
4. मलाराम पुत्र हेमाराम मृतक जरिये विधिक वारिसानः–
   4/1 भंवरलाल पुत्र मालाराम
   4/2 नत्थूराम पुत्र मालाराम
   4/3 रामूराम पुत्र मालाराम
   4/4 सेठाराम पुत्र मालाराम
   4/5 कैलाश पुत्र मालाराम
   4/6 जगदीश पुत्र मालाराम
   4/7 चूकी बेवा मालाराम
   समस्त जाति भांबी, निवासीगण जिन्दास तहसील व जिला नागौर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नागौर जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर, नागौर दिनांक 17–03–2016
अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 74/2014
बउनवान उमाराम व अन्य बनाम मालाराम व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री शंकरलाल चौधरी अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री गोविन्द शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 10–01–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने सहायक कलक्टर नागौर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 1 बीघा 6 बिस्व, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.03 बिस्वा गैर मुमकिन बाड़ी सरहद मौजा जिंदास में है जिसके पूर्व में खसरा नम्बर 59, 59/1 रकबा 0.10 बीघा गैर मुमकिन बाडा एवं पश्चिम में खसरा नम्बर 56 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी है। प्रत्यर्थीगण के बाड़े के दौनों तरफ रास्ता होने से सीमा विवाद बना हुआ है जिसे खसरा नम्बर 57 व 58 के चारो सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, नागौर को पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिनांक 17–3–2016 पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17–3–2016 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–3–2016 की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हो सकी। उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 4–1–2017 को होने पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के संमुख प्रस्तुत कर दी जिन्हें सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं होने के कारण दिनांक 6–2–2018 को खारिज कर दी। इस प्रकार अपीलार्थीगण ने विधिक सलाह लेकर जानकारी दिनांक से आदेश दिनांक 17–3–2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण विलम्ब को

क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा कारण भी नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील को मियाद के बिन्दु पर ही निस्तारित करते हुए अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थी अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 57 एवं 58 की चारो सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि खसरा नम्बर 57, 58 व 59/1 बाड़ा है जो वर्तमान में आबादी में होने से प्रकरण संधारण योग्य नहीं था तथा ना ही ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया गया। इस तरह अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार नागौर से भी कोई जवाब प्राप्त नहीं किया। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का विरोध किया था तथा जवाब में यह अंकित किया था कि खसरा नम्बर 59/1 गैर मुमकिन बाडा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 पुरानी सींव सहित 10 बिस्वा रेकार्ड में दर्ज होता रहा मगन नक्शा ट्रेस में किस स्थान पर क्या पड़ौस है कौन स्थित है इस बाबत किसी भी प्रकार का प्रत्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं किया है इस प्रकार अस्पष्ट आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और इस प्रकार अपने जवाब में यह भी अंकित किया कि पत्थरगढ़ी बाडे की स्वरूप की होना संभव नहीं है बल्कि प्रार्थीगण ने पक्की दीवार निकालने का भी हवाला दिया गया है। जिससे पत्थरगढ़ी अथवा सीमाज्ञान करवाने का भी कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने जो जवाब प्रस्तुत किया उसकी कोई फाईडिंग नहीं दी।

उनका यह भी तर्क है कि वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें सारे कथन काल्पनिक अंकित किये है कि अपीलार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 57 व 58 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 57 व 58 की सीमा दबाकर रकबा कम किया जा रहा है एवं एक तरफ आबादी दर्ज है एवं कटाणी रास्ता होने से व सरकारी भूमि होने से सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जाना आवश्यक होने से एवं सीमाओं का स्पष्ट पता नहीं लगने से प्रत्यर्थी अपने भू–भाग पर पक्की चारदीवारी बनाना चाहता है। प्रत्यर्थीगण ने जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 के तहत प्रस्तुत किया है वह जिस उद्देश्य से किया है वह प्रस्तुत नहीं कर मौके पर विवाद कराने बाबत प्रस्तुत किया है जबकि किसी तरह का कोई विवाद मौके पर नहीं है एवं वर्तमान अपीलार्थीगण ने किसी प्रकार की कोई सीमा दबाकर कोई बाड़ लगाकर प्रत्यर्थीगण का कोई कब्जा कम नहीं किया है इस प्रकार वर्षो से अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर अपने अपने हिस्से की भूमि का उपयोग करते आ रहे है तो ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के व्यर्थ में पडौसी पक्षकारों को विवादों एवं मुकदमेबाजी में नहीं उलझना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण एवं उनके अभिभाषक को सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–3–2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 57 रकबा 1.06 बीघा, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.03 बीघा गैर मुमकिन बाडा मौजा जिन्दास में प्रत्यर्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है। प्रत्यर्थीगण के खेत खसरा नम्बर 57 व 58 के उत्तर की तरफ ग्राम जिन्दास की आबादी है व दक्षिण की तरफ आम रास्ता है। पूर्व में खसरा नम्बर 59 जिसके वर्तमान बटा नम्बर 59/1 गैर मुमकिन बाडा रकबा 0.10 बीघा अपीलार्थीगण संख्या 1 से 4 का है एवं पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 56 रकबा 1.11 बीघा के खातेदार चुन्नी के वारिसान का बाड़ा है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण की जमीन पर कब्जा का प्रयास किया दखलंदाजी कर रहे है कहीं नहीं कहा है। अपीलार्थीगण का जवाब आने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल प्रत्यर्थीगण के खसरा नम्बर 57 व 58 के संबंध में पत्थरगढी का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने खेत खसरा 57 रकबा 1.06 बीघा एवं खसरा नम्बर 58 रकबा 0.03 बीघा किस्म गैर मुमकिन बाड़ी मोजा जिन्दास का नापचोप करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपाखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया। साथ ही कोई खातेदार अपनी

खेत की आराजी का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराता है तो उसका उसे पूर्ण अधिकार है बशर्ते उभयपक्ष या प्रभावित पक्ष मौके पर उपस्थित हो ताकि भविष्य में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। अधीनस्थ न्यायालय ने भविष्य में विवाद को मध्य नजर रखते हुए विवादित आराजियात मौजा जिन्दास का नापचोप कर मौके पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त कर उक्त खसरा नम्बर 57 व 58 का नाप चोप कर पत्थरगढ़ी कराये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—3—2016 अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 74/2014 बउनवान उमाराम बनाम मलाराम वगैरह विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10—01—2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर